

PROFORMA OF COMPLETION CERTIFICATE

**कार्यालय नगर नियोजक (भवन)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।**

पत्रांक-

न0नि0(भवन)का0वि0प्रा0 /

दिनांक:-

कानपुर विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मेसर्स एल्लिको टाउनशिप्स एण्ड हाउसिंग लि0 द्वारा जवाहरपुरम् योजना के सेक्टर 09 (पुराना सेक्टर-14) पर विकसित योजना के अन्तर्गत निर्मित _____ के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट संख्या- _____ पंजीकृत वास्तुविद् _____ रजिस्टर्ड नं0 _____ का प्रमाण पत्र _____ पर व _____ के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र _____ का अवर अभियन्ता श्री _____ एवं सहायक अभियन्ता श्री _____ तथा सचिव महोदय के आदेश संख्या- _____ दिनांक- _____ के माध्यम से गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है एवं प्रस्तुत _____ का रामन मानचित्र परमिट संख्या- _____ दिनांक- _____ द्वारा जारी किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति दिनांक- _____ के अनुपालन में निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रतिबन्ध/शर्तें-

- स्वीकृत रामन मानचित्र में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- यदि भविष्य में आवेदक के पक्ष में प्राधिकरण की कोई देयता निकलती है तो उसे समयान्तर्गत जमा करना होगा।
- विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति आख्याओं में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना होगा।
- नगर निगम में हस्तान्तरण किये जाने तक सन्दर्भित योजना/कालोनी का रख-रखाव आवेदक/विकासकर्ता द्वारा स्वयं करना होगा।
- रेरा अधिनियम का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा।
- भू-स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार का वाद-विवाद होने अथवा भविष्य में उत्पन्न होने पर समस्त उत्तर दायित्व पक्ष/आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
- समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सुचारू रूप से संचालित करना होगा एवं लगाये गये वृक्षों की स्वयं देखभाल करनी होगी।
- Construction and Demolish rules 2016 का अनुपालन करना होगा।
- सालिड बेस्ट मैनेजमेन्ट 2016 का अनुपालन करना होगा।
- शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से ही निर्मित _____ का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा।
- किसी भी शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने की दशा में पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक